email_id : dcourtkhd-mp@nic.in Phone No. : 0733-2921001

<u>कार्यालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्व निमाड, खण्डवा (म0प्र0)</u>

–:: विविध आदेश ::–

क्रमांकः 81 /को.वा./2020 खण्डवा, दिनांक 26 जून, 2021

विषय :– न्यायालयों में निरन्तर चलने वाली सुनवाई बाबत्।

संदर्भ :– माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर द्वारा सुनवाई हेतु जारी मानक प्रकिया (SOP) क्र. ए–113/15.01.2021, परिपत्र क्र. ए/1095 दिनांक–26.03.2021, Additional SOP क्र. ए–1149 दिनांक–03.04.2021 एवं दिनांक 20.04.2021।

......000.......

संदर्भित परिपत्रों के अनुपालन में इस कार्यालय से जारी पूर्ववर्तीय विविध आदेश क्रमांक 73/को.वा. दिनांक 04 जून, 2021 की निरन्तरता में जिला न्यायालय पूर्व निमाड़ खण्डवा एवं सिविल न्यायालय तहसील हरसूद, पुनासा, उप–तहसील मांधाता (ओंकारेश्वर) जिला खण्डवा में सीमित न्यायालयीन कार्य निम्नानुसार शर्तों के साथ भौतिक एवं आवश्यकतानुसार वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से निष्पादित किए जाने हेतु आदेशित किया जाता है कि :–

(1) सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय पर, निर्धारित रीति से न्यायालयीन और अन्य अनुषंगिक कार्य हेतु नियमित रूप से उपस्थित रहेंगे।

(2) ऐसे दांडिक मामले, जिनमें विचारण न्यायालय के द्वारा अभियुक्त को आवश्यक रूप से उपस्थित रहने हेतु निर्देश दिया है, वह यदि न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है, तो उसके विरूद्ध जमानतीय/गिरफ्तारी वारंट, जैसी भी आवश्यकता हो; जारी किया जा सकेगा। आवश्यकतानुसार उसके और जमानतदार के विरूद्ध विविध प्रकरण कायम कर वसूली कार्यवाही भी नियमानुसार प्रारंभ की जा सकेगी।

(3) ऐसे सिविल मामले जिनमें त्वरित सुनवाई किसी आवेदनपत्र पर आवश्यक है, तो ऐसे आवेदनपत्र पर नियमित सुनवाई पूर्ण करते हुए उनका शीघ्र निराकरण किया जावें।

(4) सभी प्रकार के नये मामले सिविल/दांडिक फाईलिंग काउंटर पर प्रस्तुत किये जा सकेंगे, इसी प्रकार जिन मामलों में किसी पक्षकार या साक्षी को समन अथवा वारंट अथवा अन्य आदेशिका जारी किया जाना है, इस हेतु आवश्यक आव्हान–पत्र स्वीकार किये जा सकेंगे। सभी प्रकार के मामलों में विपक्षी को नोटिस नियमित रूप से जारी किये जायें। तथापि ऐसे मामलों में यदि अभिभाषक नियुक्त हो जाते हैं, तो उन पक्षकारों को तब तक न्यायालय परिसर/न्यायालय में न बुलाया जायें, जब तक कि उनकी उपस्थिति न्यायालय में व्यक्तिशः आवश्यक न हो।

(5) सिविल मामलों में पक्षकार/साक्षियों के मुख्य परीक्षा के कथन आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. के अधीन प्राप्त कर उनका प्रतिपरीक्षण आयोग के माध्यम से किये जाने की कार्यवाही को प्राथमिकता दी जायें, जिससे कि न्यायालय परिसर में अनावश्यक भीड़ से बचा जा सकें।

(6) साक्ष्य कार्यवाही हेतु प्रत्येक दिवस में सिविल अथवा दांडिक अथवा दोनों ही मामले उतनी ही संख्या में नियत किये जायें, जिनमें कि साक्षियों का परीक्षण अधिकतम 03.00 बजे तक पूर्ण किया जा सकें अर्थात साक्षियों को अनावश्यक इंतजार न करना पड़े; इस बात का विशेष ध्यान रखा जायें।

(7) न्यायालय परिसर में सामाजिक दूरी बनाये रखने तथा कोविड उपयुक्त व्यवहार करने, कोविड–19 प्रोटोकॉल का पालन करने विषयक राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश का पालन कठोरता से किया जायें। अभिभाषक संघ और संघ से सदस्यों से भी यह अपेक्षा है कि वे ऐसे निर्देश का कठोरता से पालन सुनिश्चित करें।

सही/-
(एल0डी0 बोरासी)
प्रधान जिला न्यायाधीश
पूर्व निमाड़, खंडवा (म0प्र0)

पृष्ठां.क्र0 1228/को.वा./2020 — खण्डवा, दिनांक 26 जून, 2021

प्रतिलिपि :–

01. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. विशेष न्यायाधीश/परिवार न्यायालय/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/षष्ठम् सिविल जज वर्ग–1, खण्डवा/हरसूद/पुनासा, प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ सिविल जज वर्ग–2, खण्डवा/हरसूद एवं समस्त प्रशिक्षु न्यायाधीशगण की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
03. समस्त अनुभाग प्रभारी, जिला न्यायालय खंडवा/सिविल न्यायालय तहसील हरसूद/पुनासा/मांधाता (ओंकारेश्वर),
04. कलेक्टर, जिला खण्डवा,
05. पुलिस अधीक्षक, जिला खण्डवा,
06. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, खण्डवा/हरसूद/पुनासा/मांधाता (ओंकारेश्वर),
07. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, खण्डवा,
08. आयुक्त, नगर पालिका निगम, खण्डवा,
09. जिला लोक अभियोजन अधिकारी, खण्डवा,
10. लोक अभियोजक/शासकीय अधिवक्ता, जिला न्यायालय, खण्डवा,
11. जिला जन सम्पर्क अधिकारी, खण्डवा,
12. अधीक्षक, जिला जेल, खण्डवा,
13. प्रशासनिक/उप–प्रशासनिक अधिकारी/समस्त कर्मचारीगण जिला न्यायालय खण्डवा/सिविल न्यायालय हरसूद/पुनासा/मांधाता (ओंकारेश्वर),
14. प्रस्तुतकार, जिला न्यायालय, खण्डवा,
की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

प्रधान जिला न्यायाधीश
पूर्व निमाड़, खंडवा (म0प्र0)